WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM BANGLADESH

MR. DEPUTY CHAIRMAN: On behalf of the Hon'ble Members of the House and on my own behalf, I have great pleasure in extending a warm welcome to Her Excellency, Dr. Shirin Sharmin Chaudhury, Speaker of the Parliament of Bangladesh and Chairperson of CPA Executive Committee, who is visiting India as our honoured guest to participate in the National Conference of Women Legislators to be held on 5 and 6 March, 2016. She is now seated in the Special Box.

Hon'ble Members, India and Bangladesh share age-old civilizational linkages. Our ties are characterized by close friendship, cooperation and understanding. I am confident that this visit would further reinforce the excellent bilateral relations between our two countries for the benefit of our people.

We wish her an enriching and memorable stay in our country. Through her, we convey our greetings to the people, Parliament and the Government of Bangladesh.

RE. INSTALLATION OF MIRROR FOR DIGNITARIES BOX

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, can I make a suggestion?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, please.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, most of the dignitaries cannot see the Chair because of the position. So, I request you to have a mirror placed here so that they can at least see you. Please think about it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Otherwise, try to arrange some other thing.

DR. K.P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): Sir, in Lok Sabha they have a big screen.

SHRI JESUDASU SEELAM (Andhra Pradesh): Sir, you also can't see them.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, that is why mirror is better because it is a two way thing. You can also see them. They can also see you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That can be examined. That proposal can be examined.

DR. K.P. RAMALINGAM: Sir, in Lok Sabha there is a big screen. We can put like that here also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will examine it and we will make suggestions also. Okay, now Shri Ahamed Hassan. He is absent. Shri Javed Ali Khan.

MATTER RAISED WITH PERMISSION - *Contd.*

Alleged closure of the Off-campus centre of the Aligarh Muslim University on grounds of illegality

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अस्तित्व पर जो आप प्रश्न उठ गया है, उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के सैक्शन 12 के तहत वहां की एक्जीक्यूटिव कमेटी और वहां की Academic Council ने अलीगढ़ से बाहर पांच ऑफ कैम्पस सेंटर्स खोलने का फैसला किया था। उसमें से तीन अस्तित्व में भी आ गए - मल्लपुरम, किशनगंज और मुर्शिदाबाद में। जो पांच सेंटर्स खोलने का फैसला किया गया था, उनमें से दो अभी अस्तित्व में नहीं आए हैं। इसकी जरूरत 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद महसूस हुई कि अल्पसंख्यकों की हालत दलितों से बदतर है। जब सच्चर कमेटी ने इस तरफ इशारा किया, तो तत्कालीन प्रधान मंत्री डा0 मनमोहन सिंह जी की सरकार ने अल्पसंख्यकों के अंदर शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ऐसी नीति बनाई, जिसके तहत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने कानूनी तरीके से उन सेंटर्स को खोलने का निर्णय किया, लेकिन आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का एक बयान आया है, जिसमें वे फरमाते हैं कि हमारी केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी जी इन सेंटर्स को गैर-कानूनी करार दे रही हैं और इन्हें मिलने वाली सहायता को बंद करने की धमकी दे रही हैं। उनका बयान मेरे पास है। ऐसी स्थिति है। एक तरफ जहां हम "सबका साथ, सबका विकास" का नारा देते हैं, वही समाज के एक बड़े हिस्से को शिक्षा की सुविधाओं से दूर रखना चाहते हैं। ये सेंटर्स पूरी तरह से कानूनी तरीके से बने थे और मैं यह बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो संरचना है, वहां का जो डिसिज़न मेकिंग तरीका है, उसमें भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी, उस विश्वविद्यालय के विज़िटर होते हैं। अगर कोई भी नीतिगत फैसला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव कमेटी या वहां की Academic Council लेती है, वह तब तक अमल में नहीं आता, जब तक भारत के राष्ट्रपति जी उस पर अपनी स्वीकार्यता नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में, मंत्री जी की तरफ से यह कहना, जो मैं वाइस चांसलर के हवाले से कह रहा हूं और जैसा अखबारों में उनका बयान छपा है कि ये सेंटर्स गैर-कानूनी हैं, इनको फंड नहीं दिया जा सकता।

मैं चाहूंगा कि सरकार अभी और इसी वक्त इस सवाल पर अपना स्पष्टीकरण दे कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय या दूसरे अल्प संख्यक शिक्षण संस्थान...

†**جناب جاوید علی خان (اتر پردیش)** : اپ سبھا پتی مہودے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وجود پر جو آج سوال اٹھ گیا ہے، اس کی طرف میں سدن کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایکٹ کے سیکشن 12 کے تحت وہاں کی

†Translitration in Urdu Script.